बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

पत्रांक-स्था02/02-04/2016......26............ /पटना, दिनांक 20.02.17

प्रेषक,

पूनम (भा०प्र०से०)

निदेशक।

सेवा में,

उप निदेशक (आहरण एवं व्यय),

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना।

जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर(भभुआ), गया, जहानाबाद, अरबल, नवादा, औरंगाबाद, मुंगेर, लखीसराय, जमुई, शेखपुरा, बेगुसराय, खगड़िया, भागलपुर, बांका, पूर्णियाँ, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चम्पारण, प० चम्पारण, वैशाली, सारण, सिवान एवं गोपालगंज।

विषयः- वित्तीय वर्ष 2016-17 में मुख्य शीर्ष-3454- के राज्य योजना उपशीर्ष-0101- समग्र सांख्यिकी विकास योजना शीर्ष से मुख्यालय एवं इसके अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों के स्थापना/गैर स्थापना व्यय के वहन हेतु स्वीकृत्यादेश संख्या-1898 दिनांक 22.09.2016 के आलोक में वाहन ईंधन एवं रख-रखाव मद् में अतिरिक्त राशि का आबंटन। कुल आवंटित राशि रु0 4,95,000/-(चार लाख पन्चानवे हजार) रुपये मात्र।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग ने अपने पत्रांक-423/वि० दिनांक-31.03.16 के द्वारा सूचित किया है कि बिहार विधान मंडल से पारित वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए बिहार विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2016 पर महामहिम राज्यपाल द्वारा 30.03.2016 को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

2. वित्त विभाग के पत्रांक-2793 दिनांक 04.04.2016 एवं पत्रांक-एम-4-09/2014-4572वी० दिनांक 03.06.2016 के आलोक में अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना के स्वीकृत्यादेश संख्या-1898 दिनांक 22.09.2016 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य योजना मद से जीवनांक सांख्यिकी, कृषि सांख्यिकी, हॉलरिथ, प्रकाशन एवं स्थापना से संबंधित कुल दस योजनाओं के सफल कार्यान्वयन हेतु निदेशालय एवं क्षेत्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के लिए स्वीकृत योजना की अवशेष राशि आबंटित की जाती है।

3. संलग्न विवरणी के अनुसार राशि मुख्य शीर्ष-3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, उप मुख्य शीर्ष 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, लघु शीर्ष 205- राज्य सांख्यिकी एजेंसी, समूह शीर्ष-राज्य योजना, उप शीर्ष-0101-समग्र सांख्यिकी विकास योजना अन्तर्गत आवंटित की जा रही है, जिसका मांग सं०-35 एवं विपत्र कोड- P/3454022050101 है।

4. संलग्न विवरणी के क्रमांक-1 एवं 2 से 39 तक के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी क्रमशः उप निदेशक (आहरण एवं व्ययन), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय (मुख्यालय), बिहार, पटना एवं सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी होंगे।

5. राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित आवंटन आदेश की संख्या तथा तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर विपत्र में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र विपत्र पर अंकित करना होगा

कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है।

6. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वीकृत्यादेश संख्या-1898 दिनांक 22.09.2016 के अनुसार प्रत्येक परिस्थिति में संलग्न विवरणी-1 के अनुसार मद्वार आवंटित राशि की निकासी कर मद्वार निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राशि का व्यय करना सुनिश्चित करेगें।
7. व्यय का मासिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से निदेशालय स्थित बजट शाखा को उपलब्ध कराया जाय, अन्यथा अगला आवंटन, व्यय प्रतिवेदन के अप्राप्त रहने की स्थिति में रोक दिया जायेगा और इसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होगें।
8. आवंटित राशि का व्यय वित्त विभाग के पत्र संख्या-2561 दिनांक 17.04.1998, पत्रांक-2794 दिनांक-04.04.2016 एवं पत्रांक-4572, दिनांक 03.06.16 में उल्लेखित निदेश के साथ-साथ, समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अन्य आदेशों के आलोक में किया जायेगा।
9. स्वीकृत्यादेश संख्या-1898, दिनांक- 22.09.2016 के आलोक में बिहार समग्र सांख्यिकी विकास योजना के तहत सांख्यिकी के विभिन्न कार्यो के सफल कार्यान्वयन हेतु व्यय किया जाएगा।

बजट सहायक	प्रशाखा पदा0	सहायक निदेशक	नोडल पदाधिकारी	व०सं०निदेशक	विश्वासभाजन (पूनम) निदेशक

ज्ञापांक ..../पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपिः 1. महालेखाकार, (लेखा एवं हक), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

ज्ञापांक 26/पटना, दिनांक 20/04/17

प्रतिलिपिः 1. संबंधित सभी कोषागार पदाधिकारी
2. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

ज्ञापांक 26/पटना, दिनांक 20/04/17

प्रतिलिपिः 1. योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा)।
2. संयुक्त निदेशक (योजना)/सभी उप निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय।
3. कार्यालय लेखापाल (दो प्रतियों में)/श्री शशि रंजन सिन्हा, कार्यालय परिचारी (गार्ड फाईल) में चिपकाने हेतु एवं निर्गत प्रशाखा को निर्गत करने एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. श्री अनिल चन्द्र प्रकाश, कनीय सांख्यिकी सहायक, कम्प्यूटर कोषांग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है किइस आवंटन आदेश को सभी संबंधितों के ई-मेल पर प्रेषित करते हुए निदेशालय के वेवसाइट पर अपलोड करना/कराना सुनिश्चित करें।

निदेशक